न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–17 / 2025
GCMS NO:- 2025/183

दायर दिनांकः 26.6.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. प्रमोद कुमार पुत्र राधेश्याम जाति महाजन नि0 करवर तहसील नैनवॉ।
2. सुमनदेवी पत्नी राधेश्याम जाति महाजन नि0 करवर तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकोर।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.2427 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है।

यह कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2025 को हो चुका है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर डोल लगाकर तारबन्दी करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा हो सके और अतिक्रमण का खतरा उत्पन्न नही हो। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति, शपथ पत्र तथा पूर्व मे हुए सीमाज्ञान का मौका पर्चा की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जो कि प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही आधिपत्य होना बताया गया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम करवर तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.2427 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ